



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 06 अप्रैल, 2024

थाना स्याना

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड 01 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद।

जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05/06.04.2024 की रात्रि में थाना स्याना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नयागांव के सामने बाग में बने खंडहर से 01 अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं- 139/2024 धारा 5/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. दीपक उर्फ दीपू पुत्र संजय निवासी खत्रीवाडा हनुमान मंदिर के पास कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 04 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
- 2- 03 तमंचे अधबने 315 बोर
- 3- 02 अधबने तमंचे 12 बोर मय 07 जिन्दा कारतूस
- 4- तमंचे बनाने के उपकरण-

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू का आपराधिक इतिहास -

1. मुअसं- 1344/18 धारा 393,427 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-1345/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-884/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-427/22 धारा 379,411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-428/22 धारा 414 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-429/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-765/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 139/2024 धारा 5/25 शस्त्र अधि० थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण तमंचो की काफी मांग आ रही है जिस कारण आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तमंचे तैयार किये जा रहे थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना ।
2. उ०नि० दिलीप कुमार, उ०नि० मोहित कुमार, उ०नि० विपिन कुमार
3. है०का० नीरज मलिक, है०का० सुखेन्द्र पाल, का० रुपसिंह



मीडिया सेल बुलंदशहर